न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–04/18–19

श्रीमती प्रभावती देवी, पति–स्व0 जगरनाथ सिंह, पता–अग्रसेन भवन, सरायरोड, दुमका

वनाम

अंचल अधिकारी, दुमका।

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
11.2.2020	**आदेश** प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–04/18–19 श्रीमती प्रभावती देवी, पति–स्व0 जगरनाथ सिंह, अग्रसेन भवन, सरायरोड, दुमका के द्वारा अंचल अधिकारी, दुमका के नामान्तरण वाद सं0–223/2017–18 में दिनांक–26.12.17 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। आवेदिका श्रीमती प्रभावती देवी द्वारा अपने आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा–रसिकपुर नं0–02, बसौड़ी जमाबंदी सं0–15(1)(पी), दाग सं0–1010(P) कुल रकवा–00 एकड़ 4.08 डी0 जमीन रजिस्ट्री डीड सं0–299 दिनांक–18.07.2016 के माध्यम से विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया गया है। आवेदिका के दाखिल ऑनलाईन आवेदन नामान्तरण वाद सं0–223/17–18 को अंचल अधिकारी, दुमका के द्वारा दिनांक–26.12.17 को अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त वाद में अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा यह आदेश दिया गया है कि नामान्तरण वाद के साथ Document Upload नहीं रहने के कारण ऑनलाईन पंजी II से मिलान या सत्यापन नहीं होता है। अतः नामान्तरण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, दुमका के कार्यालय पत्रांक–64/रा0, दिनांक–22.01.2020 से प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, दुमका ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदिका के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में मौजा–रसिकपुर के खाता सं0 – 15/1, दाग सं0 – 1010 (P) रकवा – 4.08 डी0 भूमि की ऑनलाईन नामान्तरण हेतु वाद सं0 – 223/17–18 दायर किया गया। उक्त नामान्तरण वाद में Upload document file नहीं खुल रहा था, जिससे यह ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि आवेदिका द्वारा किस प्रकार जमीन प्राप्त किया गया है साथ ही आवेदिका द्वारा एकही दाग सं0 1010(P) ऑनलाईन नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल किया गया था। दाग सं0 में (P) अंकित रहने के कारण नामान्तरण हेतु आगे की प्रकिया नहीं हो पा रहा था। जिस कारण उक्त नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया था। उस वक्त Edit का Option नहीं दिया गया था।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
	उल्लेखनीय है कि jharbhoomi.nic.in portal में Upload online Register II में आवेदित भूमि की विवरणी चढ़े रहने की स्थिति में ही ऑनलाईन नामांतरण की जा सकती है। इसलिए आवेदिका स्वयं जाँच कर लें कि नामांतरण कराये जाने वाली भूमि की विवरणी online Register II में चढ़ा हुआ है या नहीं। यदि नहीं चढ़ा हुआ है तो अंचल अधिकारी, दुमका के कार्यालय में संबंधित भूमि के कागजात के साथ आवेदन पत्र देने पर online Register II में अपलोड कर दिया जायेगा। अभिलेख में संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात है कि निबंधित विक्रय विलेख में मौजा–रसिकपुर, थाना सं0–02, जमाबंदी सं0–15/1 के दाग सं0–1010 एवं 1012 रकवा–00–02–09 धुर बराबर (4.08डी0) का उल्लेख है। परंतु नामांतरण वाद सं0–223/2017–18 के Online mutation receipt में केवल दाग सं0–1010(पी)रकवा 4.08 डी0 का ही उल्लेख है। अंचल अधिकारी, दुमका को यह निदेश दिया जाता है कि Online mutation receipt एवं निबंधित केवाला में अंकित दाग एवं रकवा का online Register II से मिलान कर यदि आवश्यक हो तो ऑनलाईन संशोधन कर इस नामांतरण अपील वाद की स्वीकृति दी जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, दुमका को भेजें लेखापित एवं संशोधित। 11.02.2020 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका। 11.02.2020 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।	

Order 15-16